बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

।। प्रेस विज्ञप्ति।।

दिनांक–28.03.2020
समय–07:00 बजे अप०

COVID-19 Virus के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के आलोक में निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:–

1. कृषि तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना में दी गयी छूट यथा पशु/ पक्षी/ मछली का चारा/दाना आदि के आलोक में इसके निर्बाध आवागमन हेतु सभी जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक आवश्यक कार्रवाई करने एवं इसका निरंतर अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।
2. राज्य में लागू Lockdown की अवधि में सभी किराना/ फल/ सब्जी की दुकाने सुवह 6.00 बजे से संध्या 6.00 बजे तक ही खुले रखने का निदेश दिया गया है। दवा एवं चिकित्सा से संबंधित अन्य दुकानें पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाने का भी निदेश दिया गया है। इसका लगातार अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।
3. आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के अन्तर्गत आने वाले सामग्रियों के मूल्य पर निगरानी रखने का निदेश दिया गया।
4. राज्य के शहरी इलाकों में फसे हुए अन्य राज्य के निवासियों/ राज्य के निर्धन, निराश्रित आदि व्यक्तियों के लिये कुल 76 आपदा राहत केन्द्र संचालित किये गये, जिसमें आवासन के साथ–साथ भोजन की भी व्यवस्था की गयी है। उक्त आपदा राहत केन्द्रों में लगभग 3900 लोगों को भोजन कराया गया है। आपदा राहत केन्द्र में social distancing का विशेष ध्यान रखने का निदेश दिया गया।
5. आवश्यक वस्तुओं के transportation हेतु किसी व्यक्ति/वाहन के एक से अधिक जिलों में परिवहन की आवश्यकता होने की स्थिति में उन्हें जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से पास निर्गत किया जाएगा।
6. COVID-19 के आलोक में मास्क की आवश्यकता को देखते हुए जीविका दीदी के द्वारा अबतक कुल 65000 मास्क का निर्माण कराया गया है।
7. राज्य में लागू lockdown के आलोक में सरकारी आदेश का उलंघन करने पर कुल 77 FIR दर्ज कराया गया है। साथ ही कुल 1516 वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 179 के तहत कार्रवाई की गयी है। इसके तहत 18 वाहनों को जप्त किया गया है एवं 5.72 लाख रू0 जुर्माना के तौर पर वसुल किया गया है।